Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में सरपंच 2 लाख 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 सितम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार सरपंच, ग्राम पंचायत जैतूसर, जिला सीकर को परिवादी से **2 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान एवं अमानत राशि लौटाने की की एवज में श्रवण कुमार सरपंच, ग्राम पंचायल जैतूसर, जिला सीकर द्वारा 20 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से **2 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह** एवं टीम जयपुर ग्रामीण द्वारा रींगस जिला सीकर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार पुत्र श्री अर्जुनलाल बलाई निवासी गुढ़ा, पुलिस थाना रींगस, जिला सीकर हाल सरपंच, ग्राम पंचायल जैतूसर, जिला सीकर को परिवादी से **2 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।